

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संख्या-09/आरोप- रामगढ़-84/2016

(09)/रा., राँची, दिनांक-

:: अधिसूचना ::

श्री लाल बाबू, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के थाना काण्ड सं०-6/16, दिनांक-30.08.2016 में दिनांक-31.08.2016 को हिरासत में लिए जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-5480, दिनांक-07.10.2016 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (2)(क) के तहत गिरफ्तारी की तिथि 31.08.2016 से अगले आदेश तक के लिए उन्हें निलंबित किया गया था।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या-B.A. No.-9024/2016 में दिनांक-15.12.2016 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने के पश्चात श्री लालबाबू द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, पलामू में दिनांक-17.12.2016 को योगदान समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (3)(i) के तहत श्री लाल बाबू का योगदान स्वीकृत करते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. श्री श्री लाल बाबू के निलंबन की अवधि के संबंध में निर्णय उनके विरुद्ध दर्ज थाना थाना काण्ड सं०-6/16, दिनांक-30.08.2016 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में किया जाएगा।

ह०/-

(अवध नारायण प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

(09)/रा., राँची, दिनांक-

ज्ञापांक-09/आरोप- राँची-83/2016

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

(09)/रा., राँची, दिनांक-

ज्ञापांक-09/आरोप- राँची-83/2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

(09)/रा., राँची, दिनांक- 09-03-17

ज्ञापांक-09/आरोप- राँची-83/2016

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, हजारीबाग/उपायुक्त, पलामू/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग/ बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पलामू/विभागीय प्रशाखा-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव  
08/03/17